वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांकः—एफ.2 / वमखुवि / स्था. / 26 / 4124 दिनांक 04 / 06 / 2026

प्रभारी,
आईटी एवं ई0एम0पी0सी0, विभाग,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।

विषयः— लोकपाल की नियुक्ति की एवं छात्रों की शिकायतों का निवारण हेतु गठित समिति की सूचना विश्वविद्यालय website पर अपलोड करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 अधिसूचना में दिये गये निर्देशों की पालना हेतु विश्वविद्यालय में छात्रों की शिकायतों के निवारण हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.2 / वमखुविवि / स्था0 / 26 / 4030 दिनांक 30.04.2026 को समिति का गठन किया गया है, उसी क्रम में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.2 / वमखुविवि / स्था0 / 26 / 4062 दिनांक 11.05.2026 को प्रो0 जी. सोरल (सेवानिवृत आचार्य, वाणिज्य संकाय) को लोकपाल के पद नियुक्त किया गया है।

अतः उक्त सूचनाओं को विश्वविद्यालय की website पर अपलोड करने का श्रम करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

कुलसचिव

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक – एफ.2/वमखुवि./स्था0/26/4030 दिनांक 30.04.2026

कार्यालय आदेश

भारत के राजपत्र में दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 अधिसूचना में दिये गये निर्देशों की पालना हेतु विश्वविद्यालय में छात्रों की शिकायतों के निवारण हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.2/वमखुविवि/स्था./023/125 दिनांक 10.05.2023 द्वारा गठित समिति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है:–

1. डॉ0 सुबोध कुमार, आचार्य – अध्यक्ष
2. डॉ0 क्षमता चौधरी, आचार्य – सदस्य
3. डॉ0 अनुराधा दुबे, आचार्य – सदस्य
4. डॉ0 सुशील राजपुरोहित, सहायक आचार्य – सदस्य
5. डॉ0 चक्रधर वर्मा, सहायक कुलसचिव – सदस्य
6. सुश्री वर्तिका शर्मा – छात्र प्रतिनिधि
7. डॉ0 रवि गुप्ता, सहायक आचार्य – सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 अधिसूचना में दिये गये निर्देशों को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाही निस्तारित करेगी।

यह आदेश कुलगुरू महोदय से अनुमोदित है।

–हस्ता0–
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, कुलगुरू, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
2. नियंत्रक (वित्त), वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
3. निदेशक, संकाय, योजना एवं विकास, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
4. सतस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुविवि।
5. निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें प्रभाग, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. समस्त विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
7. समस्त समिति सदस्य...।

उप कुलसचिव
स्थापना

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक – एफ़.2 / वमखुविवि / स्था0 / 26 / 4062 दिनांक 11.05.2026

कार्यालय आदेश

प्रो0 जी. सोरल, (सेवानिवृत आचार्य, वाणिज्य संकाय) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के बिन्दु संख्या 6 (iii) के अनुसार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में लोकपाल के पद पर मानद नियुक्ति प्रदान की जाती है। प्रो0 जी. सोरल, (सेवानिवृत आचार्य, वाणिज्य संकाय) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की लोकपाल के पद पर मानद नियुक्ति (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के बिन्दु संख्या 6 (v) के अनुसार लोकपाल को पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

लोकपाल के कार्यकरण विश्वविद्यायल अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

यह आदेश कुलगुरू महोदय की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

–हस्ताक्षर–
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचना व आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है–

1. प्रो0 जी. सोरल, (सेवानिवृत आचार्य, वाणिज्य संकाय) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
2. सचिव, कुलगुरू, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
3. नियंत्रक (वित्त), वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
4. नोडल अधिकारी, छात्र शिकायत निराकरण प्रकोष्ठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुवि, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा।
7. रक्षित पत्रावली।

उप कुलसचिव
(स्थापना)